राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(9)ग्रावि/नरेगा/है.लाईन/पार्ट–III/12–13 जयपुर, दिनांक : 19 DEC 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संचालित कॉल सेन्टर के प्रचार–प्रसार बाबत।**

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर वैब आधारित हैल्प डैस्क कम मॉनीटरिंग इन्फॉमेशन सिस्टम (कॉल सेन्टर) संचालित किया जा रहा है। इस कॉल सेन्टर पर आमजन को निम्न सुविधाएं उपलब्ध है :–

- महात्मा गांधी नरेगा के बारे में जानकारी
- महात्मा गांधी नरेगा योजना में श्रमिकों के अधिकार एवं हकदारी
- जॉब कार्ड नम्बर बताकर अपने अथवा अपने परिवार के कार्य एवं भुगतान से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करना
- महात्मा गांधी नरेगा के कियान्वयन से जुडी किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करना
- श्रमिकों के भुगतान में विलम्ब से संबन्धित शिकायत दर्ज करना
- दर्ज शिकायत की प्रगति अथवा वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करना
- रोजगार की मांग दर्ज कराना
- निर्धारित समयावधि में शिकायत का निपटारा सुनिश्चित

इस कॉल सेन्टर की वैब साईट **nregahimsrajasthan.com** पर पंचायत समिति स्तरीय अधिकारियों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए डैश बोर्ड भी उपलब्ध है, जिसके आधार पर योजना के कियान्वयन, शिकायतों एवं इसकी आदिनांक/निस्तारण की स्थिति की समीक्षा की जा सकती है।

योजनान्तर्गत संचालित उक्त कॉल सेन्टर को लोकप्रिय बनाये जाने एवं आमजन को इसकी जानकारी उपलब्ध कराए जाने हेतु इस कॉल सेन्टर का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार निम्नानुसार किया जावे :–

- पम्पलेट वितरण – संलग्न ड्राफ्ट के अनुरूप सादा कागज पर श्वेत श्याम पम्पलेट छपाए जाकर प्रत्येक ग्राम पंचायत में अधिकतम 300 पम्पलेट वितरित एवं ग्राम पंचायत मुख्यलाय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जावे।

- दीवार लेखन – योजना में नियोजित श्रमिकों एवं कराए गये कार्यों के दीवार लेखन पर यह भी अंकित कराया जावे **"महात्मा गांधी नरेगा योजना से संबन्धित जानकारी, शिकायत एवं सहायता के लिए निःशुल्क टेलीफोन नम्बर 1800 180 6606 पर प्रातः**

6.00 बजे से सांयः 6.00 बजे तक सम्पर्क कर सकते है।" यह सूचना अन्य सार्वजनिक स्थलों, सरकारी भवनों की दीवारों पर भी अंकित करायी जावे।

- होर्डिंग – प्रत्येक पंचायत समिति, जिला परिषद एवं जन सुविधा केन्द्रों पर पम्पलेट के अनुसार होर्डिंग स्थापित किये जावे।

भवदीय

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(अभय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर/जोधपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस

राजस्थान सरकार

महात्मा गांधी नरेगा कॉल सेन्टर

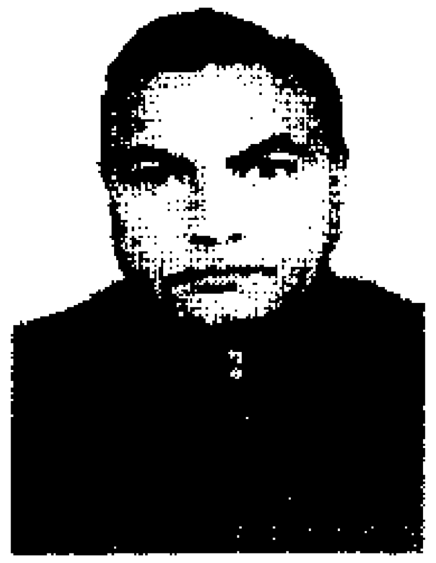

टोल फ्री निःशुल्क

1800 180 6606

महात्मा गांधी नरेगा

समस्या समाधान

सहायता–पूछताछ

निःशुल्क सेवा सप्ताह के सातों दिन **प्रातः 6 बजे से सायं 6 बजे तक** उपलब्ध

उपलब्ध सुविधाएं

- महात्मा गांधी नरेगा के बारे में जानकारी
- महात्मा गांधी नरेगा योजना में श्रमिकों के अधिकार एवं हकदारी
- जॉब कार्ड नम्बर बताकर अपने अथवा अपने परिवार के कार्य एवं भुगतान से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करना
- महात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन से जुडी किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करना
- श्रमिकों के भुगतान में विलम्ब से संबन्धित शिकायत दर्ज करना
- दर्ज शिकायत की प्रगति अथवा वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करना
- रोजगार की मांग दर्ज कराना
- निर्धारित समयावधि में शिकायत का निपटारा सुनिश्चित

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान